भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †5952
उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026
9 चैत्र, 1948 (शक)

बांदा और चित्रकूट में खेल अवसंरचना

†5952. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा और चित्रकूट जिलों के कई कस्बों में खेल के मैदान और खेल अवसंरचना की कमी के कारण स्थानीय युवाओं को पर्याप्त खेल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन जिलों के प्रमुख कस्बों जैसे बबेर, नरैनी, अतर्रा, मऊ, मानिकपुर आदि में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा क्या है और उनके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में युवाओं को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए मिनी स्टेडियम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का इरादा रखती है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल के मैदानों की व्यवस्था करना और खेल अवसंरचना जैसे कि मिनी स्टेडियमों की स्थापना तथा शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए खेल सुविधाओं के निर्माण सहित खेल के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमें लागू करता है:

i. खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
vi. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ);
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) ।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये मांग-आधारित स्कीमें हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र निकायों से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र निकायों से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। गतिविधियों / कार्यक्रमों के लिए उसके आवंटित बजट के भीतर खेलो इंडिया स्कीम देशभर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड क्रमशः mdsd.kheloindia.gov.in और nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
